eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

महिलाओं में सामाजिक चेतना जगाने तथा सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं का मूल्यांकन

[1]सीमा पटेल

[2]डॉ0 शाहेदा सिद्दीकी

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

महिलाओं में सामाजिक चेतना जगाने तथा सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संविधान के 72 वें एवं 73 वें संशोधन को ध्यान मे रखकर मध्यप्रदेश विधानसभा में 30 दिसम्बर 1993 को ''मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1993'' पारित किया गया जो 25 जनवरी 1994 से राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत कमजोर वर्ग एवं महिलाओं के लिये ग्राम पंचायतों के सभी स्तरों पर व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने अंतर्गत संचालित किये जाने वाले सभी प्रकार के सहायता कार्यक्रमों में महिलाओं की कम से कम 40 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। मध्यप्रदेश में महिलायें उद्यमी के रूप में आगे आयें, इसके लिये कई स्वरोजगार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

मुख्य शब्द – महिलाओं में सामाजिक चेतना, पंचायतीराज, स्वरोजगार, योजनाए तथा सामाजिक सहभागिता।

Introduction

शिक्षा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैकों के माध्यम से वित्तीय सहायता, उपलब्ध करायी जाती है। 1993 में इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है, संशोधित योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा इकाई हेतु दो लाख और व्यवसाय इकाई हेतु एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

साझेदारी इकाईयों में परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक होती है। इस योजना के अनुदान योजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 7500 प्रति हितग्राही दिया जाता है, अंशदान योजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत तक होती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक लाख रुपये तक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विस मैन, विकलांग एवं महिलाओं के लिये आयु सीमा 45 वर्ष है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार योजना महिलाओं के हित में है, इसमें इनका भौतिक विकास हो रहा है।

आज भी देश की महिला नीति एवं शासन की प्रमुख योजनाओं का भरपूर लाभ समाज की अनेक महिलाएँ नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें वहाँ तक पहुंचने में उनका अभिभावक ही रोड़ा बन जाता है। कुछ लोग आज भी महिलाओं को स्वावलम्बी नहीं बनने देते। एतदर्थ हमारी जो योजनायें चल रही हैं, उनमें अनेक प्रकार की समस्याऐं महिलाओं के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। कोई भी समाज सम्मान एवं न्यायसंगत शिक्षा व्यवस्था में लड़कियों तथा महिलाओं के लिये शिक्षा के अवसर बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। महिला समानता की शिक्षा नाम के कार्यक्रम के माध्यम से एक अनोखी कार्यनीति अपनाने के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें महिलायें अपनी ही गति एवं विधि से ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में कोई लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं और यह मुख्यतया प्रक्रिया उन्मुखी है जिसमे महिलायें खुद अपने लिए कार्यक्रम तय करती हैं। ग्राम स्तर पर महिला संघ इस कार्यक्रम की केन्द्रीय इकाई हैं। महिलायें अपनी समस्याएं सामने लाती हैं और सामूहिक कार्यवाही के क्षण उनका समाधान करती हैं। ऐसा करते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे गम्भीर चिंतन कर सकती हैं, जिससे महिला के रूप में उनकी छवि तथा समाज में उनकी उत्पादक भूमिका के रूप मे मिलता है। इस समय यह कार्यक्रम उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्रप्रदेश के 4 जिलों में चल रहा है। गुजरात और कर्नाटक में पूर्ण साक्षरता अभियान में महिला समाख्या ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है तथा उत्तरप्रदेश में यह कर्यक्रम महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा जैसे वैकल्पिक अवसर प्रदान कर रहा है। मध्यप्रदेश में अभी तक यह योजना चालू नहीं की गई है।

विश्लेषण –

सरकार महिला समानता की शिक्षा पर धन खर्च करने के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बिना देश का स्थायी विकास संभव नहीं है। 16 दिसम्बर 1993 को नई दिल्ली

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

में ''सबके लिए शिक्षा'' पर शिखर सम्मेलन में भारत समेत धनी आबादी वाले 9 विकासशील देशों द्वारा पारित दिल्ली घोषणा मे भी अन्य बातों के अलावा यह स्वीकार किया गया है कि लड़कियों तथा महिलाओं को शिक्षित करना और सक्षम बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा सामाजिक विकास, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की शिक्षा व कल्याण और महिलाओं के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के उपलब्ध अवसरों के विस्तार में इनकी आधारभूत भूमिका है। घोषणा के साथ कार्य संरचना भी जारी की गई जिसमें महिला शिक्षा से संबंधित इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनीतियाँ शामिल हैं।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें जैसे मार्जिन मनी योजना आदि हैं। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत 116 उद्योगों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2 जुलाई, 2011 को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक मे योजना के लिए 2.09 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में व्यक्तिगत ऋण प्रकरणों में एक लाख से दस लाख तक वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराई जाती है परन्तु संस्थाओं के लिए यह ऋण सीमा 25 लाख तक होती है। इस योजना के तहत समान्य जाति के लिए मार्जिन मनी 25 प्रतिशत एवं अन्य जाति के लिये 30 प्रतिशत, महिलाओं हेतु (सामान्य या अन्य) 30 प्रतिशत एवं अन्य जाति तथा महिलाओं के लिये 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराया जाता है। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदान मार्जिन मनी राशि ऋण प्रदान करने वाले बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में प्रोजेक्ट के सफल संचालन एवं ऋण अदायगी तक जमा रहती है। हथकरघा योजना के अंतर्गत जिले में गरीब बुनकरों को हथकरघा खरीदने हेतु 4000 रूपये, वर्क शेड बनाने हेतु 4000 रुपये एवं कार्यशील पूँजी के रूप में 8000 रुपये दिये जाते हैं, कुल 16000 रुपये दिये जाते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 6000 रुपये एवं अन्य को 4000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह राशि मूल राशि में ही शामिल होती है। हथकरघा उद्योग में पहले के वर्षों से 5 बुनकर सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं। ये सारी समितियाँ महिलाओं के चौमुखी विकास के अर्थ में तत्पर हैं, जिससे रीवा जिले के अनेक महिलाओं को लाभ मिला है।

योजनाओं को सशक्त और सक्षम बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ :–

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	उद्देश्य

1.	1982	डवाकरा योजना	ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषाहार और देखभाल की सेवा प्रदान करना।
2.	1987	न्यू मॉडल चरखा योजना	ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाने एवं प्रशिक्षण एवं अनुदान की व्यवस्था।
3.	1989	महिला सामाख्या योजना	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समानता व सजगता हेतु उचित शिक्षा।
4.	1992	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	शिशु एवं माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर शिशु एवं मातृ मृत्यु दर पर रोक।
5.	1992	किशोरी बालिका उचित शिक्षा योजना।	ग्रामीण गरीब परिवारों की बालिकाओं को उचित शिक्षा प्रदान करना।
6.	1993	राष्ट्रीय महिला कोष की योजना	गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को उत्पादन के लिए ऋण सुविधा देना।
7.	1993	महिला समृद्धि योजना	ग्रामीण महिलाओं के बचत की आदत डालना।
8.	1994	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना।
9.	1996	ग्रामीण महिला विकास योजना	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना।
10.	1997	राज्य राजेश्वरी बीमा योजना	गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं और महिलाओं को विकलांगता की स्थिति में एकमुश्त आर्थिक सहायता।
11.	1197	बालिका समृद्धि योजना	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को जनम लेने वाली बालिका की मॉ को पौष्टि आहार, बालिका की शिक्षण व्यवस्था।
12.	1997	डवा कारा योजना	कक्षा 10वीं तक शैक्षणिक अनुदान देना।
13.	1998	महिला सशक्ति योजना	महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
14.	2000	किशोरी शक्ति योजना	किशोरियों को स्वास्थ्य व पोषण की उचित व्यवस्था का विकास करना।

15.	2000	स्त्री पुरस्कार योजना	महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार व प्रोत्साहन की विशेष योजना।
16.	2001	महिला सशक्तीकरण वर्ष	महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चालू की गई।

स्त्रोत :– कुरूक्षेत्र सितम्बर 2013.

निष्कर्ष – नारी भी पुरुष की भांति देश और समाज का एक अंग है। समाज, देश और विश्व पुरुष की सेवाओं की सेवाओं से जैसे उन्नत होते हैं, उसी प्रकार स्त्री की सेवाओं से भी होते हैं। स्त्री का कार्यक्षेत्र घर के अन्दर तक ही सीमित है ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्र भारत में समान मताधिकार का बल पाकर वे और आगे बढ़ती जाएंगी। आज अब अनेक देशों में संवैधानिक रूप से नारी को बराबरी के अधिकार दिए हैं। अब वह शिक्षा, विज्ञान, राजनीति तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है।

संदर्भ –

1. Celine, Rani (1992) : Emaging pattern of Rural women in India, Radha Publication New Delhi.
2. Kaushik shushila (1993) : Women and Panchayati Raj, Har – Anand Publication, New Delhi.
3. Ghosh, Bhola Nath (2002) Rural Women Leadership Mohit Publication New Delhi.
4. Sinha, Niroj (2000) : Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi.
5. Qudeer, Imrana (1999) : Women and family welfare Ed.-Biduyt mohanti, women and political empowerment.
6. Panchandikar, K.C. & JN Panchandikar (1967) : Domestic structure and adjustment in Panchayati Raj Bodies, Ed. George, J. Readings on Panchayati Raj in India National Instilute of Community Development Hyderabad.
7. Sriniwas, M.N. (1996) : Social change in modern India university of California press.
8. Mehta, S.R. (1970) : The western educated Hindu women, Asia publising house, Bombay.
9. Desai N & Usha Thakkar (2003) : Women inIndia Society National Book Trust, New Delhi.